


1
F.0

राजस्व मंडल

न्यायालय श्रीमान् अपर-अध्यक्ष महोदय, रीवा संभाग रीवा

(म0प्र0)



श्री रामजीवन पाण्डेय
जायसु
दिनांक 19-1-12
अपर-अध्यक्ष
महोदय
रीवा संभाग
19-1-12

R-160 -III /2012

- 1. विष्णुदत्त पाण्डेय
 - 2. नारायणदत्त पाण्डेय
 - 3. कृष्णदत्त पाण्डेय
- तीनों के पिता

तीनों के पिता स्व. श्री रामसजीवन पाण्डेय
ग्राम-मौहारी कटरा, तह0 अमरपाटन,
जिला-सतना म0प्र0

निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1. गीता देवी पत्नी श्री दयाशंकर पाण्डेय, ग्राम-मौहारी कटरा, तह0 अमरपाटन, जिला-सतना (म0प्र0)
- 2. ब्रम्हदत्त पाण्डेय पिता स्व. रामसजीवन पाण्डेय, ग्राम-मौहारी कटरा, तह0 अमरपाटन, जिला-सतना (म0प्र0)
- 3. शासन म0प्र0

उत्तरदातागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 28.12.2011
न्यायालय श्रीमान् अपर जिलाध्यक्ष महोदय,
जिला-सतना के प्रकरण क्र0 310/निग0
/10-11 विष्णुदत्त वगैरह बनाम् गीता देवी
के वैधता एवं औचित्यता के लिए, अंतर्गत
धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

- 1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय, जिला-सतना का


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

78

अनुवृत्ति आदेश प्रश्न

प्रकरण क्रमांक R/160/II/12, सतना

विरुद्ध - गीता देवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>9-1-19</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>महेश प्रसाद पाण्डेय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सतना</u> के प्रकरण क्रमांक <u>310/निगा/10-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>28/12/11</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18-4-19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right">  सदस्य </p>	

AB